①

R. M. M. Law College. Date. 4.5.20
Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
part Time Law Teacher
Subject Evidence Act
part III

3.1 संस्वीकृति का मूल्य या प्रभाव (Effect and Value of Confession)

संस्वीकृति अपराध केवल प्रमाण प्रमाण मानी जा सकती है। यदि यह स्वेच्छाजनक साबित हो सकता है जब अर्थात संस्वीकृति स्वेच्छापूर्वक की गई है, एवं बिना और स्वेच्छा से की गयी संस्वीकृति यदि यह स्पष्ट रूप से साबित कर दी गई तो अपराध का सबसे सबसे अधिक प्रभावशाली प्रमाण मानी जाती है। फिर भी न्यायालयों ने संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं करके बल्कि बाहय साबित किये हुए तथ्यों का सहारा उसके समर्थन में इस संतुष्टि और सापेक्षिक परिस्थितियों से उसकी युक्तियुक्त स्वीकृति की जाती है। बिना इस समर्थन तथा सम्पुष्टि के अभियुक्त को केवल संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध नहीं करते।

(A I R. 1952) इस सम्बन्ध में पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद में उल्लेख किया गया है। इस केस में पलविन्दर कौर पर अपने पति का जहर देकर हत्या का आरोप लगा था। जिसने अपने बयान में कहा कि उसके पति की शिकार खेलने और फोटोग्राफी के शौकिन होने की बात कही। और फोटो साफ करने का कुछ पदार्थ आलमारी में रखी हुई थी उसी आलमारी में पलविन्दर दवा बाजार से

(२)

लाल रखी। दोनों शीशी के एक में पेट्रोल था, दूसरा भी और उसी में कोटो लाल रंग की (पदार्थ) द्रव था। पुलिस ने उसके पास कोटो साफ करने वाली पदार्थ स्याहिया और फिर पता लगा या गया। इस सम्पूर्ण कथन को पढ़ने से अभियुक्त को निर्दोष होने का निष्कर्ष निकलता था अतः यह संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य की अग्राह्य माना गया है।

संस्वीकृति किसी भी रूप में हो सकती है। यदि संस्वीकृति न्यायालय में की जाती है तो न्यायिक संस्वीकृति कही जायेगी और यदि संस्वीकृति न्यायालय के बाहर की जाती है तो न्यायिकेतर संस्वीकृति कहेंगे। संस्वीकृति स्वयं के साथ बातचीत से पैदा हो सकती है और यदि कोई इसे सुन ले तो वह उसका साक्ष्य दे सकता है।

Samsung Triple Camera
Shot with my Galaxy A70s

Scanned with CamScanner